विलोपित विलोपित

न्यायालय समक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र

निगरानी- 3130/2018/सिवनी/स्टांपअधि प्र.क्र.

भारती इंफ्राटेल लिमिटेड
द्वारा श्री गौरव तिवारी आ. श्री सोम प्रकाश तिवारी
सहायक प्रबंधक-कानूनी और नियामक (म.प्र.- छ.ग.)
भारती इन्फ्राटेल लिमिटेड, मैट्रो टावर एच-3
चैथी मंजिल, इंदौर, म.प्र.
चतुर्थ मंजिल, मेट्रो टॉवर,
विजय नगर चौराहा, इंदौर(म.प्र) ....पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

1.म.प्र शासन द्वारा उपपंजीयक सिवनी

2.श्री शांति गहलानी पत्नी स्वर्गीय अशोक कुमार गहलानी

सिन्धी कॉलोनी सिवनी...अनावेदकगण

पुनरीक्षण अंतर्गत 56(4) भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899

उक्त पुनरीक्षण अधिनस्त न्यायालय श्रीमान कलेक्टर ऑफ़ स्टाम्प एवं जिला पंजीयक जिला सिवनी म.प्र द्वारा प्र क्र 28/बी-103/2015-16 मे पारित आलोच्य अंतिम आदेश दिनाक 27/07/2017 के विरुद्ध दुखीत एवं परिवेदीत होकर आदेश की सत्य प्रतिलिपि की प्राप्ती दिनांक 04/04/2018 से समय अवधी में प्रस्तुत की जा रही है।

पुनेरिक्षण के तथ्य

1 यह की पुनरीक्षणकर्ता एक टावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी है, कंपनी द्वारा इंदौर जिले के अपने सहायक प्रबंधक श्री गौरव तिवारी आ. श्री सोम प्रकाश तिवारी.को अधिकृत कर उक्त पुनरीक्षण प्रस्तुत की जा रही है।

2 यह कि महालेख्गार ग्वालियर द्वारा उपपंजीयक कार्यालय सिवनी पर अभिलिखित निरिक्षण टिप अवधि 2013-15 की कण्डिका 2 मोबाइल टावर के पट्टा अनुबंधों में संलग्न सूची के क्रमांक 3 पर उल्लेखित लीज डीड के पंजीयन के न होने से स्टाम्प शुल्क 18000 एवं पंजीयन 13500 की हानी के आक्षेप में नगर पालिका सिवनी से प्राप्त अनुबंध के आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया।

3 यह कि अधिनस्त न्यायालय ने उक्त प्रकरण में पुनेरिक्षणकर्ता को विधि सम्यक सुचना पत्र तमिल कराये बीना एक पक्षीय पूर्वाग्रह से ग्रषित होकर कार्यवाही की जिसमे लाइसेंस विलेख लीज विलेख के स्वरुप का होने से 20 वर्ष की अवधि के लिए 10000 प्रतिमाह लाइसेंस किराया शुल्क पर 5 वर्ष बाद 10 प्रतिशत वृद्धी के साथ औसत वार्षिक किराया 139230 का तीन गुना 417690 भारती स्टाम्प अधिनियम के अनुछेद पट्टे पर दय मुद्रांक शुल्क की दर से मुद्रांक शुल्क 20884 एवं पंजीयन शुल्क 15664 पंजीयन शुल्क देय है अतः कमी मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क 36448 शासकीय कोष में जमा कराये जाने विधि

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3130 / 2018 / सिवनी / स्टाम्प

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
11 –10–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं जिला पंजीयक जिला सिवनी के प्रकरण कमांक 28 / बी–103 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 27.07.2017 के विरूद्व धारा 56 (4) भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई। निगरानी आवेदन पत्र के साथ उनके द्वारा धारा–5 का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया है। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी 1 वर्ष 11 माह के विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन में ऐसे कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये गये हैं जिसमें विलंब मांफ किया जा सके, समयावधि बाह्य प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट एवं समाधानकारक कारण दर्शाया जाना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक द्वारा विलंब के संबंध में कोई ठोस व स्पष्ट कारण नहीं दर्शा सके है। अतः निगरानी अवधि बाह्य मान्य करते हुये अग्राह की जाती है। (एस0 एस0 अली) सदस्य	